संख्याः 1573/57–2000–5(69)/81

प्रेषक,

बी0एम0 मीना
सचिव,
पशुधन एवं मत्स्य
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक मत्स्य,
   मत्स्य विभाग
   उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक
   उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,
   लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊः दिनांक अप्रैल, 20, ,2001

विषयः– मत्स्य विभाग/मत्स्य विकास निगम के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणी के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 765/57–म–2000–7(69)/81, दिनांक 08 मार्च,2000 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रेणी एक व दो के जलाशयों के सम्बन्ध में किश्तों को जमा करने एवं ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप ठेका निरस्त कर दिये जाने की दशा में संबंधित जलाशयों को नीलाम करने में आयी कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त उपरिसंदर्भित शासनादेश के प्रस्तर–6 की व्यवस्था में निम्नवत संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
ठेके की किश्त नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोली वाली ठेकेदार/मत्स्य जीवी सहकारी समिति से प्रथम वर्ष की आधी धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी। शेष आधी धनराशि का भुगतान, ठेका स्वीकृति के तीन माह के अन्दर जमा करना होगा। द्वितीय वर्ष में ठेके के मूल्य में प्रथम वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगी एवं निर्धारित समय सारिणी	नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्तों के अतिरिक्त खुली नीलामी में वार्षिक आधार पर जो सबसे अधिक बोली प्राप्त होगी उसकी 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्वीकार करने के उपरान्त ठेकेदार/समिति को तत्काल जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध के पश्चात 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में जमा करानी होगी। ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष की 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार/समिति को 15 अगस्त

के अनुसार ठेकेदार/समिति को एक चौथाई धनराशि पर 15 जून, तक, एक चौथाई, 15 सितम्बर तक तथा शेष आधी धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करनी होगी। विशेष परिस्थिति में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत धनराशि जमा न करने की स्थिति में देय तिथि से अधिकतम एक माह समय उप निदेशक मत्स्य/अधिशाषी प्रबन्धक द्वारा दिया जा सकता है। इसके पश्चात निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 की संस्तुति पर दो माह तक का समय समय बढ़ा सकते है। किश्त देय की निर्धारित तिथि के पश्चात जमा होने वाली धनराशि पर 2 प्रतिशत ब्याज किश्त के साथ जमा करना होगा। देय तिथि तक किश्ते न जमा करने पर ठेका समाप्त कर जलाशय पुनः नीलाम किया जायेगा।

तक शेष 75 प्रतिशत धनराशि 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में जमा करानी होगी। बोली स्वीकार करने के उपरान्त अनुबन्ध पूर्ण होने पर तीन माह तक यदि ठेकेदार/समिति किश्तों की धनराशि जमा नही करता/करती है तो ठेकेदार/समिति को किश्त देय की धनराशि तिथि के पश्चात 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दण्ड स्वरूप देय किश्त के साथ साथ भुगतान करना होगा। इसी प्रकार ठेकेदार/समिति के ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष में तीन माह के भीतर अर्थात 30 नवम्बर, तक यदि किश्त का भुगतान नही करता है तो किश्तों की अवशेष धनराशि पर ठेकेदार/समिति को 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की धनराशि दण्ड स्वरूप देय किश्त के साथ–साथ भुगतान करनी होगी। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय में किश्तों की धनराशि जमा नही की जाती है अथवा ठेकेदार/समिति 31 मार्च तक 2 प्रतिशत ब्याज दण्ड स्वरूप व किश्तों की धनराशि जमा नही करता/करती है तो विशेष परिस्थितियों में निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम को यह अधिकार होगा कि 30 जून तक अवशेष धनराशि दण्ड ब्याज सहित जमा करने का समय बढ़ा सकते है अथवा अपने विवेकानुसार ठेके को निरस्त कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर सकते है। द्वितीय वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर दस प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगी।

2. इसी सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2000 के अन्तर्गत श्रेणी एक व दो के जलाशयों को तीन वर्षो के लिए नीलामी किये जाने का प्राविधान है फिर भी कभी–कभी किसी ठेकेदार/समिति द्वारा ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर उसके ठेके को निर्धारित अवधि से पूर्व निरस्त करना पड़ता है उक्त स्थिति में ठेके को पुनः अवशेष अवधि के लिए नीलाम किये जाने में आ रही कठिनाईयों के निवारण के लिए सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया है:–

(क) यदि पूर्व में स्वीकृत ठेके की अधिकतम छः माह की अवशेष अवधि से पूर्व ठेका निरस्त कर दिया जाता है तो उस अवशेष बची हुई अधिकतम छः

माह की अवधि के लिए पुनः ठेका/नीलाम की कार्यवाही की जायेगी। तदुपरान्त आगामी तीन वर्षो के लिए ठेका/नीलाम की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) यह कार्यवाही अर्थात पूर्व ठेके की अधिकतम बची छः माह की अवशेष अवधि के लिए अलग से तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अलग से अथवा एक साथ करायी जा सकती है। ऐसी स्थिति में श्रेणी–एक व दो जलाशयों के नीलाम के लिए निर्धारित अवधि तीन वर्ष के स्थान पर बढ़ी हुई अवधि मानी जायेगी जो अधिकतम तीन वर्ष छः माह हो सकती है तथा उपर्युक्त तीनों कार्यवाही एक ही समय में निष्पादित करायी जायेगी। इस प्रकार के ठेके दिये जाने/नीलाम की कार्यवाही किये जाने में समस्त ठेकेदारों/समिति को इस बात की स्वतंत्रता रहेगी कि उक्त तीनों प्रकार की कार्यवाहियों में एक साथ अथवा पृथक–पृथक भाग ले सकते है। नीलामी समिति को उपरोक्त तीनो प्रकार की कार्यवाहियों से करायी जाने वाली नीलामी की कार्यवाही मे यह अधिकार होगा कि वह उसी विकल्प को संस्तुति/स्वीकार करे, जिसमें सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो। बोली स्वीकृत होने पर ठेकेदार/समिति से अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ग) अधिकतम छः माह की अवशेष अवधि हेतु ठेके की की गयी नीलामी की कार्यवाही में उच्चतम बोलीदाता ठेकेदार/समिति को 100 प्रतिशत धनराशि बोली स्वीकार होने के उपरान्त तत्काल जमा करनी होगी।

उपरिसंदर्भित शासनादेश संख्या 765/57–म–2000–7(69)/81, दिनांक 08 मार्च,2000 तथा शासनादेश संख्या 1383/57–म–2000–5(69)/81, दिनांक 11.04.2001 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा तद्नुसार शासनादेश दिनांक 11.04.2001 के साथ जारी की गयी शर्तो में इसे सम्मिलित रखा जाये। कृपया तद्नुसार अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

(बी0एम0 मीना)
सचिव